फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री पार्थ रावल निवासी रावलों की गली वाण तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 23 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 26.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत वाण जिला सिरोही को वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25 में राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से कितनी राशि(अनुदान / बजट / फंड) प्राप्त हुई तथा प्राप्त राशि किन–किन योजनाओं / मदों के अन्तर्गत दी गई, उसका योजनावार विवरण तथा उक्त राशि का ग्राम पंचायत द्वारा कहां–कहां और किस उद्देश्य से उपयोग किया गया, उसका विवरण उपलब्ध करावें। यदि किसी राशि का उपयोग नहीं हुआ है तो उसकी जानकारी प्रदान करावें तथा उक्त व्यय से संबंधित अनुमोदित कार्यवृत्त, ठेका / निर्माण विवरण एवं भुगतान रजिस्टर की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 26.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत वाण जिला सिरोही को वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25 में राज्य सरकार / केन्द्र सरकार से कितनी राशि(अनुदान / बजट / फंड) प्राप्त हुई तथा प्राप्त राशि किन–किन योजनाओं / मदों के अन्तर्गत दी गई, उसका योजनावार विवरण तथा उक्त राशि का ग्राम पंचायत द्वारा कहां–कहां और किस उद्देश्य से उपयोग किया गया, उसका विवरण उपलब्ध करावें। यदि किसी राशि का उपयोग नहीं हुआ है तो उसकी जानकारी प्रदान करावें तथा उक्त व्यय से संबंधित अनुमोदित कार्यवृत्त, ठेका / निर्माण विवरण एवं भुगतान रजिस्टर की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / सू.अ.अधि. / 2026 / 07 दिनांक 30.01.2026 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिवगंज के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	